



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19878

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1180/2026

श्रीमती सुषमा मौर्य.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: नरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, प्रांजल मेहरोत्रा

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह, तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल मेहरोत्रा की ओर से उपस्थित श्री आशीष कुमार गुप्ता (A/A 2600/14) को सुना गया।
2. विरोधी पक्षों द्वारा एक संयुक्त बयान दिया गया है कि वे कोई हजफनामा (affidavit) दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और रिट याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाए।
3. पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।
4. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 20.10.2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 'डाटा एंट्री ऑपरेटर' / 'मातृ एवं शिशु ट्रेकिंग प्रणाली ऑपरेटर' के पद पर संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 13.01.2026 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रयागराज द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ता का स्थानांतरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोरांव, प्रयागराज से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फूलपुर, प्रयागराज कर दिया गया।
5. उक्त स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए, यह वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।
6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 18.08.2023 के एक परिपत्र का हवाला दिया है, जो संविदा कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर रोक लगाता है। दिनांक 18.08.2023 के परिपत्र पर भरोसा किया गया है, जो उस संविदा कर्मचारी के स्थानान्तरण पर रोक लगाता है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कोर्ट का ध्यान रिट-A संख्या 12725/2023 (हेमंत कुमार पांडे और 5 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) की ओर भी दिलाया, जिसका फैसला दिनांक 21.08.2023 को हुआ था; जिसमें यह माना गया था कि किसी संविदा कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है।
7. राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार पेश हुए, और प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता श्री प्रांजल मेहरोत्रा की ओर श्री आशीष कुमार गुप्ता (A/A 2600/14) पेश हुए, ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि हेमंत कुमार पांडे और 5 अन्य (उपर्युक्त) के फैसले के

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



महैनज़र यह रिट याचिका उसी के दायरे में आती है, और 18.08.2023 के परिपत्र के महैनज़र स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता था।

8. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

9. ज़ाहिर है, रिट याचिकाकर्ता एक संविदा कर्मचारी है, जिसका स्थानान्तरण एक केंद्र से दूसरे केंद्र में करने का प्रयास किया गया है। हेमंत कुमार पांडे और 5 अन्य (उपर्युक्त) के मामले में, निम्नलिखित अवलोकन किया गया:

"1. इस न्यायालय के दिनांक 17.08.2023 के आदेश के जवाब में, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ की ओर से उपस्थित श्री प्रांजल मेहरोत्रा ने निदेशक द्वारा दिनांक 18.08.2023 को जारी एक परिपत्र प्रस्तुत किया है। यह परिपत्र दिनांक 10.07.2023 को जारी पिछली सूचना/परिपत्र को दोहराता है, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में स्थानान्तरण नीति पर पहले ही रोक लगा दी गई है। इस आशय का पत्र दिनांक 24.07.2020 को जारी कार्यालय पत्र के माध्यम से सभी संबंधित पक्षों को प्रसारित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 18.08.2023 को उत्तर प्रदेश राज्य के मिशन निदेशक के अधीन कार्यरत सभी जिलाधिकारियों/जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्षों को पत्र लिखकर इस संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। इस पत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविदा के आधार पर कार्यरत ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण उस स्थान से किसी अन्य स्थान पर न किया जाए, जिस स्थान पर उन्हें मूल रूप से रोजगार प्रदान किया गया था। दिनांक

18.08.2023 का परिपत्र नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"प्रेषक,

मिशन निदेशक,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला स्वास्थ्य समिति,

उत्तर प्रदेश

पत्रांक 10/स्थानान्तरण/एनएचएम/लखनऊ/2023-24/4157 दिनांक 18.08.2023

विषय:- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु लागू मानव संसाधन नीति, डैप-गाइडलाइन तथा विभिन्न पत्रों के माध्यम से प्रेषित दिशा-निर्देशों की उपेक्षा विषयक। महोदय/महोदया,

कृपया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु लागू मानव संसाधन नीति के चैप्टर-10 जोकि अलगाव और निकास संबंधि औपचारिकताएं से संबंधित है जिसके अन्तर्गत संस्था से अलग होने व सेवा समाप्ति से सम्बन्धित दिशा-निर्देश प्रदान किये गये है एवं मानव संसाधन नीति के अन्य दिशा-निर्देश का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में प्रायः संज्ञान में आया है कि मानव संसाधन नीति में प्रेषित दिशा-निर्देशों तथा पत्र संख्या-197/एस०पी०एम०यू०/डैप-एच०आर०/जी०आर०सी०/2018-19/12394-75 दिनांक 07.03.2019 के

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों द्वारा कार्य में अनिमित्तता पाये जाने के विरुद्ध प्रेषित प्रक्रिया की उपेक्षा कर कतिपय जनपदों द्वारा संविदा कर्मियों के सेवा समाप्ति का निर्णय जिला स्वास्थ्य समिति में प्रस्तावित किये बिना ही ले लिया जाता है व सम्बन्धित कर्मियों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाता, जो कि नियमों के विरुद्ध है।

उक्त के क्रम में आपसे आपेक्षित है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी संविदा कर्मियों की सेवा समाप्ति किये जाने से पूर्व निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना तथा सम्बन्धित कर्मियों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जायें, यदि उक्त के उपरान्त भी साक्ष्य एवं नियमों के आधार पर किसी संविदा कर्मियों की सेवा समाप्ति की जाती है तो उक्त हेतु उचित आदेश तथ्यों सहित सम्बन्धित को निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध नोटिस संख्या: 150/एस०पी०एम०यू०/डैपएच०आर०/2020-21/1628 दिनांक 10.07.2020 माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के अन्तर्गत जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु लागू स्थानान्तरण नीति आगामी वित्तीय वर्षों हेतु तक स्थगित की चुकी है। उपरोक्त सूचना कार्यालय ज्ञाप संख्या: 150/एस०पी०एम०यू०/डैप-एच०आर०/स्था०/2020-21/1909-11 दिनांक 24.07.2020 के माध्यम से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को भी प्रेषित की गयी है।

परन्तु प्रायः संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों द्वारा बिना किसी आधार पर कर्मियों का स्थानान्तरण कर दिया जाता है जो कि नियम विरुद्ध है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि WRIA No. 1180 of 2026 3 जनपदों द्वारा किये गये स्थानान्तरणों की जिम्मेदारी राज्य द्वारा व्यहृत नहीं की जायेगी तथा उक्त के सम्बन्ध में यदि कोई न्यायिक कार्यवाही होती है तो जनपद स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होगा।

उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि समय-समय पर जनपद में कार्यरत कर्मियों के कार्य की समीक्षा की जाये तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के अन्तर्गत जनपदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु लागू मानव नीति, डैप-गाइडलाइन एवं अन्य पत्रों के माध्यम से प्रेषित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,

ह०अप० (डा०पिंकी जावल)

मिशन निदेशक

2. मिशन डायरेक्टर की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल मेहरोत्रा ने कहा कि अब ऐसे कामों और आचरण के लिए अलग-अलग अधिकारी जिम्मेदार होंगे, अगर वे उत्तर प्रदेश राज्य में नेशनल हेल्थ मिशन निदेशालय के तहत हेल्थ मिशन प्रोजेक्ट में सकाम कर रहे संविदा कर्मचारियों का स्थानान्तरण करते हैं।

3. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, इसलिए, मुझे दिनांक 20.07.2023 का आदेश सही नहीं लगता।

4. इस मौके पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता और ऐसे दूसरे कर्मचारियों के संबंध में दिनांक 20.07.2023 का आदेश वापस ले लिया गया है और उन्हें भविष्य में अपना आचरण और व्यवहार सुधारने की चेतावनी दी गई है, नहीं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 03.08.2023 को जारी किया गया आदेश, जो कोर्ट के सामने पेश किया गया है, उसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। ऐसा लगता है कि जिन

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया था, वे अपने काम को संतोषजनक ढंग से नहीं कर रहे थे और इसलिए उन्हें अपना काम सुधारने की चेतावनी दी गई, नहीं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

5. इन हालात को देखते हुए, कोर्ट का यह पक्का मानना है कि विवादित आदेश के संबंध में अब और कोई आदेश देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को निर्देश दिया जाता है कि वे उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िलों में काम कर रहे सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को एक परिपत्र जारी करें, जिसमें उन्हें मिशन में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट

कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में मिशन डायरेक्टर के दिनांक 10.07.2020, 24.07.2020 और 18.08.2023 के परिपत्र का पालन करने को कहा जाए, जिनका जिक्र ऊपर किया गया है।

6. इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, यह याचिका निपटा दी जाती है।

7. रजिस्ट्रार (अनुपालन) इस आदेश की जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख सचिव, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को देंगे। आवश्यक अनुपालन के लिए 24 घंटे के भीतर।"

10. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि वर्तमान मामला हेमंत कुमार पांडे और 5 अन्य (उपर्युक्त) के दायरे में आता है और स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता था, अतः, इस न्यायालय के पास रिट याचिका को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

11. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रयागराज, यानी प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 13.01.2026 को पारित विवादित स्थानान्तरण आदेश को, जहाँ तक उसका संबंध रिट याचिकाकर्ता से है, रद्द किया जाता है।

12. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”